...कारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

...तासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

...आवेदन संख्या 214/2023

प्रार्थीगण

1. नेमाराम पुत्र धनाराम
2. बाबूराम पुत्र धनाराम
3. भैराराम पुत्र धनाराम
4. मोहनराम पुत्र धनाराम
5. सटीदेवी पत्नि धनाराम

जातियान कुम्हार निवासीयान धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

बनाम

विपार्थीगण

1. अजबाराम पुत्र अमलाराम उम्र 35 वर्ष
2. वेनाराम पुत्र अमलाराम उम्र 30 वर्ष
3. नथीनाराम पुत्र अमलाराम उम्र 40 वर्ष
4. पांगूदेवी पत्नि अमलाराम उम्र 60 वर्ष
5. गुलाबाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 40 वर्ष
6. जांजू पत्नि लिखमाराम उम्र 76 वर्ष
7. तेजाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 45 वर्ष
8. गमूताराम पुत्र लिखमाराम उम्र 56 वर्ष
9. हेमाराम पुत्र लिखमाराम उम्र 50 वर्ष
10. तारोदेवी पत्नि वेनाराम उम्र 75 वर्ष
11. दूदाराम पुत्र वेनाराम उम्र 55 वर्ष
12. धनरुपाराम पुत्र वेनाराम उम्र 45 वर्ष
13. बादलीदेवी पत्नि देशमाराम उम्र 45 वर्ष जातियान् कलबी निवासी धूड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
14. राजकंवर पत्नि गम्भीरसिंह उम्र 63 वर्ष
15. सम्पतसिंह पुत्र गम्भीरसिंह उम्र 45 वर्ष जातियान् राजपूत निवासी धूड़िया मोतीसिंह
16. अशोककुमार पुत्र अणदाराम 25 वर्ष
17. आम्बाराम पुत्र अमराराम उम्र 60 वर्ष
18. आम्बाराम पुत्र आदाराम उम्र 45 वर्ष
19. कालीदेवी पत्नि अणदाराम उम्र 53 वर्ष
20. खीमाराम पुत्र अणदाराम उम्र 35 वर्ष
21. गोबाराम पुत्र शंकराराम उम्र 42 वर्ष
22. जुगताराम पुत्र आदाराम उम्र 40 वर्ष
23. जैताराम पुत्र मोमताराम उम्र 40 वर्ष
24. ...राम पुत्र मोमताराम उम्र 50 वर्ष
25. नेनाराम पुत्र ... उम्र 44 वर्ष
26. परबूराम पुत्र ... उम्र 70 वर्ष
27. बुधाराम पुत्र मोमताराम उम्र 45 वर्ष
28. कमला पुत्री सरुपाराम उम्र 27 वर्ष
29. गेहरोदेवी पुत्री सरुपाराम उम्र 32 वर्ष
30. चौथाराम पुत्र सरुपाराम उम्र 35 वर्ष
31. जेताराम पुत्र सरुपाराम उम्र 30 वर्ष
32. दलीदेवी पुत्री सरुपाराम उम्र 23 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

33. बीबा पुत्री सरुपाराम उम्र 20 वर्ष
34. मथरा पत्नि सरुपाराम उम्र 70 वर्ष
35. हराराम पुत्र सरुपाराम उम्र 50 वर्ष
36. धुडाराम पुत्र वीराराम उम्र 68 वर्ष
37. वागाराम पुत्र वीराराम उम्र 72 वर्ष
38. मंगाराम पुत्र राणाराम उम्र 50 वर्ष
जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवास धुड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
39. गोरखाराम पुत्र दुदाराम उम्र 35 वर्ष
40. दूदाराम पुत्र केशराराम उम्र 70 वर्ष
41. लछमणा पुत्र केशराराम उम्र 53 वर्ष
जातियान् भील निवास धुड़िया मोतीसिंह तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
42. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत मौजा धुड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 430,443/1, 443/4 रकबा क्रमशः 3.9075,3.1551,0.5663 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6289 हैक्टेयर का खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा धुड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 430,443/1, 443/4 रकबा क्रमशः 3.9075,3.1551,0.5663 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6289 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:12 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खेत मौजा धुड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 430,443/1, 443/4 रकबा क्रमशः 3.9075,3.1551,0.5663 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6289 हैक्टेयर के [illegible] आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के बिल्कुल सट आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की मेड़ या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा धुड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 430,443/1, 443/4 रकबा क्रमशः 3.9075,3.1551,0.5663 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6289 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमाये जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा धुड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 430,443/1, 443/4 रकबा क्रमशः 3.9075,3.1551,0.5663 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6289 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धुड़िया मोतीसिंह खसरा नम्बर 430,443/1, 443/4 रकबा क्रमशः 3.9075,3.1551,0.5663 हैक्टेयर कुल रकबा 7.6289 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर [illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी